


13/08/24 पत्रावली पैशा हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनु  
प्रकरण में प्रार्थी व वकील को विधिवत कई  
मर्बा आवाजें लगाई किन्तु कोई उप नही देने  
से प्रार्थी का प्रा. पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी  
में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैलल सुमार  
होकर दर्ज नम्बर से कम हो। प्रकरण में पूर्व में  
जारी एकपक्षीय अस्थायी निवेद्याज्ञा दिनांक  
28.03.2022 को स्वतः निरस्त माना जावे।

  
उपसंहार अधिकारी पदेन  
सहायक क्लर्क कलेडा